

रास्ते के विवाद को लेकर

अम्बाह में लाठी-फरसे चले, 8 घायल गोली चलाने वाले आरोपी पुलिस ने दबोचे, हथियार बरामद

नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 जून। अम्बाह थाना क्षेत्र के ग्राम अमिल्लेड़ा में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। सोमवार को हुई इस घटना में कुल आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद मुरैना जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को गांव में रास्ते के उपयोग को लेकर दोनों पक्षों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। यह विवाद देखते ही देखते बढ़ गया और लाठी-डंडों और धारदार फरसों के इस्तेमाल तक पहुंच गया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।



संघर्ष में एक पक्ष के छह लोग घायल हुए हैं। इनमें सोनू पुत्र रामेंद्र (30), उदय सिंह पुत्र बचराम (60) और जयकेश पिता कंडेल सिंह (40) शामिल हैं। सोनू के सिर में फरसे से गहरी चोट लगी है, जबकि उदय सिंह और जयकेश के सिर में भी चोटें

आई हैं। इन तीनों को अंबाह से प्राथमिक उपचार के बाद मुरैना जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

इसी पक्ष के अन्य घायलों में रामदरशा पुत्र महावीर (35), राहुल पुत्र कंडेल (38) और कंडेल सिंह पिता वाचाराम

शामिल हैं। रामदरश के हाथ और पैर में चोटें आई हैं, जबकि राहुल के हाथ में चोट लगी है। इन तीनों का इलाज अम्बाह सिविल अस्पताल में चल रहा है। दूसरे पक्ष के भी दो लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। घटना

की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 जून। फरियादी बीरबल सिंह पुत्र परिमाल सिंह हर्षाना द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट की गई कि दिनांक 19.06.26 के मध्य रात्रि 03.00 बजे हम लोग अपने घर के बाहर शादी समारोह की तैयारियां कर रहे थे तभी 05 अज्ञात लोग आये और मेरी तरफ अवैध हथियारों से गोली चलाई में हट गया गोली घी की शटर में जाकर लगी तभी अन्य व्यक्तियों ने भी हमारे ऊपर गोली चलाई, फिर ये सभी 05 अज्ञात लोग गालिया देकर बोले आज तो बच गया आईन्दा मेरे सामने आये तो जान से खत्म कर देगे सुबह कैमरे में फोटो देखने व आस-पास के लोगों के दिखाने पर उनमें से तीन व्यक्तियों के नाम श्याम पंडित, जीतू गुदेनिया, विशाल पंडित मालूम हुये तथा मुंह पर साफी बांधे 02 अज्ञात व्यक्तियों के नाम नहीं जानता हूं। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना हाजा पर अप.क्र. 287 / 26 धारा 110,296वीं, 351 (2),3 (5) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया।

लोडिंग वाहन में पकड़ी खैर की अवैध लकड़ी



नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 22 जून। स्थानीय वन विभाग द्वारा मुखवार की सूचना पर से लोडिंग वाहन में अवैध रूप से भरकर ले जा ही रही खैर की लकड़ी को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

वन मंडल अधिकारी हरीश बघेल एवं एसडीओ माधव सिंह सिसोदिया के निर्देशन में जौरा वन विभाग के रेंजर आरएल भारती को मुखबिर से सूचना मिली की पगारा

के जंगलों से अवैध रूप से खैर की लकड़ी काटकर लकड़ी तस्कर ले जा रहे हैं, जिस पर से श्री भारती ने विनोद उपाध्याय, प्रभाकर शर्मा सोनू, देवकीनंदन शर्मा, राधवेंद्र शर्मा, हाकिम यादव, रवि तोमर, सुरेंद्र दोहरी आदि कर्मचारियों की टीम तैयार कर अवैध खैर की लकड़ी को पकड़ने के लिए मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि एक लोडिंग वाहन में अवैध रूप से भरकर खैर

की लकड़ी को तस्कर ले जा रहे हैं। लोडिंग वाहन को रोकने का प्रयास किया तो वहां ड्राइवर ने लोडिंग वाहन को तेज गति से भागना शुरू कर दिया। आगे-आगे खैर की लकड़ी से भरा हुआ वाहन एवं पीछे वन विभाग की टीम चल रही थी। पगारा के जंगलों से खैर की लकड़ी से भरा हुआ अवैध वाहन टेकरी हाईवे पर पहुंचा तब वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर अवैध वाहन एवं लकड़ी को जप्त किया। बोलोरो पिकअप लोडिंग वाहन के चालक अरबाज अली निवासी रतलाम ने बताया कि उसे तो लकड़ी ले जाने का भाड़ा मिला है। रतलाम से ही उसे यहां भेजा गया है। वन विभाग की टीम ने लकड़ी एवं वाहन को जप्त करने की कार्यवाही की गई। लकड़ी एवं वाहन की कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। इस पूरी कार्यवाही में वन विभाग के कर्मचारी प्रभाकर शर्मा की मुख्य भूमिका रही।



नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 जून। फरियादी समसाद शाह पुत्र भिकारी शाह द्वारा थाना रिठौरा पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की गई किराजि करीबन 09.30 बजे वह एवं मोहब्बत शाह मालनपुर फैकट्री में काम करने के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे, जैसे ही वह शाबिर की दुकान के पास घटिया पर पहुंचे तभी कासिम शाह एवं उसके छोटे भाई समीर शाह एवं आलम शाह द्वारा पुरानी रॉजिश पर से जान से मारने की नियत से छुरा एवं लाठी से उन पर हमला किया, जिससे फरियादी समसाद

शाह, मोहम्मद शाह गंभीर से रूप से घायल हो गये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र. 52 / 26 धारा 109 (1), 126 (2) , 296 (बी), 115 (2),3 (5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक मुरैना धर्मराज मीना द्वारा घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में फराशुदा आरोपी को पतारसी एवं गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया एवं थाना प्रभारी रिठौराकाला को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के पालन में अति. पुलिस अधीक्षक मुरैना सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के निर्देशन एवं एसडीओपी बामौर अनिल कुमार मंडराह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रिठौराकाला द्वारा गठित पुलिस टीम के साथ घटना स्थल के आस-पास निरीक्षण किया गया एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया।

पुलिस के सतत् प्रयासों एवं कड़ी मेहनत के फलस्वरूप दिनांक 22.06.2026 मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना हाजा के अप.क्र. 52 / 26 में बांछित आरोपीगण कासिम शाह, समीर शाह एवं आलम शाह को प्रकरण पंजीबद्ध होने के 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर आरोपीगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाजरत छुरा एवं लाठी जब्त की गई।

विकलांग बल के प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव

मुरैना, 22 जून। भोपाल प्रवास के दौरान विकलांग बल के निर्देशन में विकलांग बल के उपप्रधान हेमंत सिंह कुशवाह, प्रदेश संगठन मंत्री भरत मुनिया, इंदौर संभाग उपाध्यक्ष रामलाल डिंडोर, धार जिला प्रचार मंत्री दीपक मालवे, धार जिला के सक्रिय सदस्य राजेश जमरे व भोपाल के सक्रिय विकलांग साथी मुकेश मेहरा आदि के द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुक्त नि.शक्वत जन डॉ. अजय खेमरिया से मुलाकात कर सुझावजनों से संबंधित कुछ सुझाव दिए और भविष्य में विकलांग बल के द्वारा विकलांग जनों के हितार्थ कार्य को देखते हुए आवश्यक कया कि हम सर्वेध धरातल पर मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे।



का घर था। घर के बाहर पहुंचने के बाद बदमाशों ने पहले अपनी बाइक घर के गेट से टकराई। इसके तुरंत बाद फायरिंग शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाश घर के सामने रुकते हैं। इसके बाद लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फुटेज के अनुसार

आरोपियों ने घर के बाहर खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान करीब 9 राउंड गोलियां चलाई गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गोलियों की आवाज सुनकर राधेश्याम घर से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने हथियारों से लैस बदमाशों को देखा, तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए दीवार की ओट में छिप गए। इसके बाद आरोपी कुछ देर के लिए वहां से निकल गए। घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसकी अवधि करीब 26 सेकंड बताई जा रही है। वीडियो में आरोपी हथियार लहराते हुए नजर आते हैं और गाली-गलौज करते हुए फिल्मी अंदाज में फायरिंग करते दिखाई देते हैं।

अज्ञात बदमाशों ने चलाई 16 राउंड गोलियां

नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 जून। जिले में 4 बदमाशों ने एक मकान पर फायरिंग कर दी। 2 मिनट में 16 राउंड गोलियां चलाईं। मकान मालिक ने छिपकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। मामला आजाद नगर कॉलोनी का है।

मिली जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 10:55 बजे चार बदमाश दो बाइकों पर सवार

► कॉलोनी में दहशत

होकर मुरैना शहर की आजाद नगर कॉलोनी पहुंचे। उनका निशाना आजाद नगर निवासी राधेश्याम

तन और मन को रखें निरोग, आओ करें मिलकर राजयोग: बीके निकेता दीदी

मुरैना, 22 जून। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवाकेंद्र पोरसा में आज योग दिवस मनाया गया, जिसमें ब्रह्माकुमारी निकेता दीदी जी ने कहा कि हर साल योगा डे एक जागरूकता फैलाना है कि कैसे योग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है ? लेकिन एक स्वस्थ शरीर के साथ शक्तिशाली मन की भी जरूरत है। आज हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ अनिश्चित है। ऐसे समय पर अगर हमारा मन शक्तिशाली हो तो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं क्योंकि योगी की निशानी है मान-अपमान, निंदा-स्तुति, हार-जीत, सर्दी-गर्मी सब में समान हो। जैसे शरीर कमजोर हो तो कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, ऐसे मन कमजोर होने से हम जल्दी-जल्दी हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जल्दी-जल्दी रोना आ जाता है, छोटी बातें सहन नहीं होती।

साले की शादी में जीजा ने फांसी लगाई



आए दामाद का शव गांव के बाहर बने यात्री प्रतीक्षालय में फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची तथा जांच

शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मिली जानकारी के मुताबिक नेपरी गांव निवासी बाबूलाल रजक के बेटे की शादी थी। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसका दामाद सतीश रजक निवासी खनेता, थाना सिविल लाइन, मुरैना करीब एक सप्ताह पहले गांव पहुंचा था। रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात सतीश गांव के बाहर स्थित यात्री स्टॉपजि पर पहुंचा और चुनरीनुमा कपड़े से फांसी लगा ली। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सोमवार सुबह नेशनल हाईवे-

552 से गुजर रहे राहगीरों की नजर फंदे पर लटके शव पर पड़ी। उन्होंने ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गांव में शादी वाले परिवार को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। परिजनों के अनुसार, रविवार रात घर में महिला संगीत और अन्य वैवाहिक कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे। इसके बाद सभी लोग सोने चले गए। ऐसे में सतीश रात के समय बस स्टॉप तक कैसे पहुंचा और उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

विश्व योग दिवस पर किया कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 22 जून। कैलारस थाना क्षेत्र के नेपरी गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब साले की शादी में शामिल होने आए दामाद का शव गांव के बाहर बने यात्री प्रतीक्षालय में फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची तथा जांच

शुरू कर दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मिली जानकारी के मुताबिक नेपरी गांव निवासी बाबूलाल रजक के बेटे की शादी थी। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसका दामाद सतीश रजक निवासी खनेता, थाना सिविल लाइन, मुरैना करीब एक सप्ताह पहले गांव पहुंचा था। रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात सतीश गांव के बाहर स्थित यात्री स्टॉपजि पर पहुंचा और चुनरीनुमा कपड़े से फांसी लगा ली। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सोमवार सुबह नेशनल हाईवे-

552 से गुजर रहे राहगीरों की नजर फंदे पर लटके शव पर पड़ी। उन्होंने ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गांव में शादी वाले परिवार को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। परिजनों के अनुसार, रविवार रात घर में महिला संगीत और अन्य वैवाहिक कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे। इसके बाद सभी लोग सोने चले गए। ऐसे में सतीश रात के समय बस स्टॉप तक कैसे पहुंचा और उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

ज्ञानतीर्थ में हो रहा ज्ञानसागर गुरु मंदिर का निर्माण



नवभारत न्यूज
मुरैना, 22 जून। ए.बी. रोड (धौलपुर-आगरा) हाइवे पर स्थित जैन समाज का सुप्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन ज्ञानतीर्थ क्षेत्र में ज्ञानसागर गुरु मंदिर एवं नवीन चंद्रप्रभु जिनालय का निर्माणकार्य तीव्र गति से चल

रहा है। मीडिया प्रभारी मनोज जैन नायक ने बताया कि छणी परम्परा के षष्ठ पट्टचाक्य सराकोद्धारक ज्ञानसागरजी महाराज की पानव प्रेरणा एवं आशीर्वाद से श्री ज्ञानतीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ था। इस भव्य जैन तीर्थ की भव्यता देखते ही बनती

है। इस जैन उपासना स्थल पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में जैन अजैन दर्शनार्थियों का आवागमन रहता है। ज्ञानतीर्थ जिनालय का भव्य प्रवेश द्वार एवं कृत्रिम पहाड़ी पर विराजमान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बड़े बाबा भगवान आदिनाथ स्वामी की भव्य, विशाल एवं आकर्षक प्रतिमा, पूज्य ज्ञानसागर जी महाराज की प्रतिमा एवं चरण चिन्ह बरबस ही सभी का मन मोह लेते हैं। इसी ज्ञानतीर्थी परिसर में बनने जा रहे श्रीचंद्रप्रभु जिनालय और ज्ञानसागर गुरु मंदिर की शोभा भी इसी तरह भव्य एवं आकर्षक होगी।

19 आरोपियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई

मुरैना, 22 जून। राष्ट्रीय चम्बल अस्थारण्य क्षेत्र देश की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है, जो मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश की सीमाओं में विस्तृत है। अपनी स्वच्छ जलधारा, समृद्ध जैव विविधता तथा विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के कारण यह क्षेत्र राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष महत्व रखता है। अस्थारण्य में पंडित्याल, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ सहित अनेक दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय वन्यजीवों तथा प्रवासी पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। विश्व में घड़ियालों की शेष आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी अस्थारण्य में निवास करता है, जिससे यह क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार अवैध रेत उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं, जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को गंभीर क्षति पहुंच रही थी तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा था। राष्ट्रीय चम्बल अस्थारण्य क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियों को गंभीर अपराध मानते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के प्रविदेन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने मध्याप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 19 आरोपियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की है।



जनपद शिक्षा केंद्र जौरा में हुई रसोइयों की प्रतियोगिता

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 22 जून। विकासखंड जौरा अंतर्गत सभी प्राथमिक माध्यमिक और एकीकृत विद्यालयों की विकासखंड स्तरीय रसोइयों की प्रतियोगिता का आयोजन जनपद शिक्षा केंद्र जौरा में किया गया। बीआरसी राजीव सिंह जादौन द्वारा बताया गया विद्यालयों में स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन का विवरण किया जाता है इन्हीं में से जन शिक्षा केंद्रों पर रसोइयों की प्रतियोगिता शुक्रवार को आयोजित की गई थी, जहां प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर आई हुई रसोइयाओं को सोमवार को जनपद शिक्षा केंद्र पर बुलाया गया था। यह प्रतियोगिता पीएम पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड जौरा में विभिन्न जन शिक्षा केंद्रों से रसोईया उपस्थित हुई थीं। उन रसोइयों द्वारा विकासखंड स्तर पर विभिन्न पकवान बनाए गए। विभिन्न बनाए गए पकवानों में प्रथम स्थान पर श्रीमती रेखा शाक्य माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1, द्वितीय स्थान पर श्रीमती रेनु माध्यमिक विद्यालय खनेता और तृतीय स्थान पर श्रीमती रबीना बाबो माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 तथा सातवां पुरस्कार हेतु श्रीमती राजकुमारी शासकीय माध्यमिक विद्यालय उम्मेदाद बांसी का समिति द्वारा चयन किया गया।

आम सूचना	आम सूचना
श्री योगेश यादव पुत्र स्व. श्री रामखिलाडी यादव के स्वत्व, स्वामित्व व आधिकार्य की अहत सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम उरहेडी, प.ह.नं.78, ब्लॉक जौरा, तहसील जौरा एवं जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो भूमि सर्वे क्र. 2540 एवं 2360 ग्राम टिकटोली गुजर का भाग है एवं जिलाका क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट एवं जहाँ वर्तुमीन निम्न प्रकार है - एवं भीमन सरदार सिंह, पटियम मे -रास्ता, उत्तर में -मदन जीतरेड्ड एवं दीर्घान मे -रास्ता है।उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति श्री पुरोहित पुत्र श्री धनीराम एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी।श्री पुरोहितका सर्वनाम से जाने के उपरान्त, उनके उत्तराधिकारी श्री जगदीश पुत्र श्री पुरोहित एवं अन्य उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इज्जत करवाया गया। श्री जगदीश सिंह कुशवाह द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्री दिलीप पुत्र श्री जगदीश सिंह कुशवाह के हित में दानात्र विलेख सम्पादित किये जाने हेतु डीड को ड्राफ्ट तैयार किया गया है एवं रजिस्टर्ड दानात्र उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार विलीय संस्थान टायगर वन घाघराने प्राइवेट लिमिटेड गवालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्रण किये जाने हेतु औपदेन प्रस्तुत किया गया है।इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निमम अथवा निवास एवं उक्त सर्व क्रमाको के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री पुरोहित के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्चक विवाद होने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिकार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में आववा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मया दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।उक्त अवधि के अन्त आधे दिवस के पक्ष में बन्चक विवाद होने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिकार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में आववा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मया दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।उक्त अवधि के समाप्त होने ही उपरोक्त वर्णित अवधि समाप्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्चक की जावकी हो जायेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी।कृपया सूचित हो।	श्री योगेश यादव पुत्र स्व. श्री रामखिलाडी यादव के स्वत्व, स्वामित्व व आधिकार्य की अहत सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम उरहेडी, प.ह.नं.78, ब्लॉक जौरा, तहसील जौरा एवं जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो भूमि सर्वे क्र. 2540 एवं 2360 ग्राम टिकटोली गुजर का भाग है एवं जिलाका क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट एवं जहाँ वर्तुमीन निम्न प्रकार है - एवं भीमन सरदार सिंह, पटियम मे -रास्ता, उत्तर में -मदन जीतरेड्ड एवं दीर्घान मे -रास्ता है।उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति श्री पुरोहित पुत्र श्री धनीराम एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी।श्री पुरोहितका सर्वनाम से जाने के उपरान्त, उनके उत्तराधिकारी श्री जगदीश पुत्र श्री पुरोहित एवं अन्य उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इज्जत करवाया गया। श्री जगदीश सिंह कुशवाह द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्री दिलीप पुत्र श्री जगदीश सिंह कुशवाह के हित में दानात्र विलेख सम्पादित किये जाने हेतु डीड को ड्राफ्ट तैयार किया गया है एवं रजिस्टर्ड दानात्र उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार विलीय संस्थान टायगर वन घाघराने प्राइवेट लिमिटेड गवालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्रण किये जाने हेतु औपदेन प्रस्तुत किया गया है।इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निमम अथवा निवास एवं उक्त सर्व क्रमाको के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री पुरोहित के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्चक विवाद होने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिकार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में आववा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मया दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।उक्त अवधि के समाप्त होने ही उपरोक्त वर्णित अवधि समाप्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्चक की जावकी हो जायेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी।कृपया सूचित हो।
शेष	शेष
नीरज जैन, एडवोकेट कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710	नीरज जैन, एडवोकेट कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710